तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
3-?-15 ओमप्रकाश मुनेश अपी... [illegible] [illegible] संतोष	पत्रावली आज लोक अदालत शिविर चूली में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित है। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर ने प्रा०पत्र 136 L.R.Act का जवाब पेश किया। अपने जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थीगण का नाम प्रा०पत्र के अनुसार दुरुस्त करने की स्वीकारोक्ति दी है। अतः प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम घाटा की जमाबंदी सं० 2067 से 2070 के खाता सं० 3। में दर्ज नाम प्रकाश के स्थान पर ओमप्रकाश, कल्लू के स्थान पर सन्तोष, दिनेश के स्थान पर मुनेश दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्य...
एवं ...

...कदमा नम्ब...
...2/2014

...ओमप्रकाश
...संतोष पुत्र
...मुनेश पुत्र

...लैण्ड होल्डर

...उपस्थित:-

प्रार्थीगा...
पिता स्वर्गीय ...
रकबा 0.59 है...
44 हेक्टर, 87...
90 हेक्टर ग्रा...
हिस्सा 1/4 ...
चुका है। प्रार्थ...
वारिस है। प्र...
कर्मचारियो ने ...
नाम कल्लू ए...
रानस्वरूपके ...
गलत नाम के ...
प्रार्थीगन के ...
कारण के.सी....
प्रार्थीगन के अ...

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
32/2014	04.12.2014	03.07.2015

1. ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप, माली निवासी छाबा की बगीची तह0 गंगापुर सिटी
2. संतोष पुत्र रामस्वरूप, माली निवासी छाबा की बगीची तह0 गंगापुर सिटी
3. मुनेश पुत्र रामस्वरूप, माली निवासी छाबा की बगीची तह0 गंगापुर सिटी

—— प्रार्थीगण

बनाम

लैन्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–

लैंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय रामस्वरूप की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी हाल ख0न0 83 रकबा 0.59 हेकटर, 84 रकबा 0.02 हेक्टर, 85 रकबा 0.10 हेक्टर, 86 रकबा 0.44 हेक्टर, 87 रकबा 0.02 हेक्टर, 88 रकबा 0.85 हेक्टर व ख0न0 225 रकबा 2.90 हेक्टर ग्राम छाबा मे स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण के पिता स्व. रामस्वरूप का हिस्सा 1/4 बनता है। प्रार्थीगण के पिता का लगभग 12 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण व उसके भाई मुकेश व माँ सुशीला उस जमीन के जायज वारिस है। प्रार्थीगण के पिता रामस्वरूप की मृत्यु हो जाने के बाद राजस्व कर्मचारियो ने भूलवश प्रार्थीगण के नाम ओमप्रकाश की जगह प्रकाश, संतोष का नाम कल्लू एवं मुनेश के स्थान पर दिनेश अंकित कर दिया है। जबकि स्व. रामस्वरूपके कल्लू, दिनेश एव प्रकाश नाम का कोई पुत्र नही है।प्रार्थीगण के गलत नाम के अंकन के कारण काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण के द्वारा के.सी.सी. लेने के वक्त बैक कर्मचारियो ने नाम सही होने के कारण के.सी.सी देने से मना कर दिया और नाम दुरूस्ती के लिए कहा। प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजो मे नाम सही है। इसलिए नाम दुरूस्ती बाबत

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

इस प्रार्थना पत्र को पेश किया है। इसलिए न्यायहित मे प्रार्थीगण का नाम राजस्व जमाबंदी में प्रकाश की जगह ओमप्रकाश, कल्लू की जगह संतोष तथा दिनेश की जगह मुनेश अंकित किया जावे क्योकि प्रार्थीगण का अन्य राजकीय व प्राइवेट दस्तावेजो मे सही नाम ओमप्रकाश, संतोष व मुनेश पुत्रान रामस्वरूप ही है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलव किया गया।

अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जबाब में अंकित किया है कि ख0न0 83 रकबा 0.59 हेक्टर, 84 रकबा 0.02 हेक्टर, 85 रकबा 0.10 हेक्टर, 86 रकबा 0.44 हेक्टर, 87 रकबा 0.02 हेक्टर, 88 रकबा 0.85 हेक्टर व ख0न0 225 रकबा 2.90 हेक्टर कुल किता 7 रकबा 4.92 हेक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्डानुसार नारायन बदरी लाल पि. सुवा हि. 3/4 प्रकाश मुकेश कल्लू दिनेश पि. रामस्वरूप मु. सुशीला बेबा रामस्वरूप हि. 1/4 कोम माली सा.देह के नाम है। उक्त ख0न0 मे रामस्वरूप के वारिसान का सही नाम प्रकाश का ओमप्रकाश, कल्लू का संतोष एवं मुनेश का दिनेश सही है। अतः खाता संख्या 91 मे उक्त नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 खाता संख्या 91, ग्राम पंचायत चूली के दिनेश, संतोष के प्रमाण पत्र, फोटोकापी पैन कार्ड, वोटर आईडी, टी.सी. संतोष की, फोटोकॉपी वोटर आईडी, पेन कार्ड, दशम की बोर्ड की मार्कशीट मुनेश, फोटोकॉपी परिवार कार्ड, वोटर आई ओमप्रकाश पेश किये है।

प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 के खाता संख्या 91 में प्रार्थीगण का नाम प्रकाश, कल्लू, दिनेश अंकित है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण का नाम प्रकाश के स्थान पर ओमप्रकाश, कल्लू के स्थान पर संतोष एवं दिनेश के स्थान पर मुनेश दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेख के अनुसार भी प्रार्थीगण का नाम ओमप्रकाश, संतोष एवं मुनेश ही होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त अभिलेख के अनुसार प्रार्थीगण खाता संख्या 91 संख्या 2067 से 2070 ग्राम छाबा में प्रकाश के स्थान पर ओमप्रकाश, कल्लू के स्थान पर संतोष एवं दिनेश के स्थान पर मुनेश दर्ज किये जाने के अधिकारी है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम छाबा की जमाबंदी सं0 2067 से 2070 के खाता संख्या 91 में दर्ज नाम प्रकाश के

उप जिला कलेक्टर

स्थान पर ओमप्रकाश, कल्लू के स्थान पर संतोष एवं दिनेश के स्थान पर मुनेश दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने हेतु निर्णय की एक प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को पालनार्थ प्रेषित की जावे ।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी